



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनाँक 04.05.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 273/26 धारा 74/352/351(2)/ 126(2) बीएनएस से सम्बन्धित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 273/26 धारा 74/352/351(2)/126 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त वैभव पुत्र श्यौराज सिंह को गिरफ्तार किया गया है इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

वैभव पुत्र श्यौराज सिंह मणी निवासी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री चन्द्रभान सिंह थाना कोतवाली बागपत ।

2-म0उ0नि0 श्री मोना शर्मा थाना कोतवाली बागपत ।



BAGHPAT POLICE



थाना साइबर क्राइम, जनपद बागपत

थाना साइबर क्राइम, जनपद बागपत के द्वारा एक व्यक्ति से हुई ऑनलाइन नौकरी के नाम पर की धोखाधड़ी में सम्पूर्ण 20,000/- रुपये वापस कराये गये-

पीड़ित मौ० मोनू पुत्र जमशेद खान निवासी ग्राम निवाडा, थाना कोतवाली बागपत, जनपद बागपत के द्वारा NCRP पोर्टल पर ACKNOWLEDGEMENT नं० 23104260078218 पर 20,000 रुपये खाता से कटने की शिकायत की गयी । जिसके फलस्वरूप थाना साइबर क्राइम, जनपद बागपत द्वारा शिकायत को तत्काल संज्ञान में लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, पीड़ित के सम्पूर्ण 20,000 रुपये वापस कराये गये ।



रुपये वापस मिलने पर पीड़ित द्वारा बागपत पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया ।

क्र०सं०	थाना	प्रा० पत्र सं०	वापस करायी गयी धनराशि
1	थाना साइबर क्राइम	23104260078218	20,000/-